

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 10, शक 1939

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 17 नवम्बर 2017

प्रारंभिक अधिसूचना

अधि. क्र. 377.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5 (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् पिपरई का गठन करती है.

सारणी में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला अशोकनगर को प्रस्तावित कर सकता है जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5)
1	अशोकनगर	पिपरई	(1) ग्राम पंचायत, पिपरई	(1) पिपरई (2) सतारपुर
2	अशोकनगर	पिपरई	(2) ग्राम पंचायत, बरखेडा पिपरई	(1) बरखेडा पिपरई (2) शुक्लापुरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	अशोकनगर	पिपरई	(3) ग्राम पंचायत, सीगोन	(1) सीगोन (2) बैलई (3) मकतनखेडी
4	अशोकनगर	पिपरई	(4) ग्राम पंचायत, खोरीवरी	(1) खोरीवरी (2) मूढ़री (3) गढ़ला (4) प्यासी (पिपरई) (5) मोलजी
5	अशोकनगर	पिपरई	(5) ग्राम पंचायत, केशोपुर	(1) केशोपुर (2) थिगली (3) बमनुआ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, कलेक्टर.